भारत सरकार

संसदीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3198

दिनांक 11/03/2026 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय युवा संसद योजना 2.0

3198. श्री आशीष दुबे:

क्या **संसदीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय युवा संसद योजना 2.0 के प्रारंभ होने के बाद से भागीदारी की मोड-वार स्थिति क्या है और इस पोर्टल के माध्यम से कितने नागरिक इसमें भाग ले रहे हैं;

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों, छोटे संस्थानों और विभिन्न सामाजिक समूहों में इस योजना की समावेशिता, पहुंच और जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार पाठ्यचर्या समेकन, क्षमता निर्माण अथवा डिजिटल नवाचारों के माध्यम से इस योजना को और सुदृढ़ करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि एवं न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) युवा संसद कार्यक्रम का विस्तार करने तथा दूर-दराज और ग्रामीण इलाकों सहित विद्यार्थियों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा संसद योजना (एनवाईपीएस) वेब पोर्टल के एक उन्नत संस्करण की शुरूआत की है जिसे एनवाईपीएस 2.0 के नाम से जाना जाता है। केवल मान्यता प्राप्त संस्थानों के विद्यार्थियों तक सीमित पिछले संस्करण के विपरीत, एनवाईपीएस 2.0 देश भर के सभी शैक्षणिक संस्थानों, समूहों और सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है। यह जाति, लिंग, पंथ, धर्म, नस्ल, क्षेत्र, देश में किसी स्थान, ग्रामीण इलाकों, छोटे संस्थानों इत्यादि की परवाह किए बिना प्रतिभागिता हेतु उपलब्ध है। युवा संसद सत्रों की भागीदारी और संचालन का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	वर्ष	संस्था द्वारा भागीदारी			समूह द्वारा भागीदारी			व्यक्तिगत भागीदारी	प्रतिभागी नागरिकों/ विद्यार्थियों की कुल संख्या (क+ख+ग)
		पंजीकरणों की संख्या	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या (यु.सं.स. की संख्या*)	प्रतिभागी विद्यार्थियों की संख्या (क)	पंजीकरणों की संख्या	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या (यु.सं.सत्रों की संख्या)	प्रतिभागी नागरिकों/ विद्यार्थियों की संख्या (ख)	प्रतिभागी नागरिकों/ विद्यार्थियों की संख्या (ग)	
1	11.09.2024 को शुरूआत से 08.03.2026 तक	4586	1564	53048	640	22	905	44222	98175

**यु.सं.स. - युवा संसद सत्र*

एनवाईपीएस 2.0 के संबंध में समावेशिता और जागरूकता लाने हेतु, मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों; राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं; विभिन्न शिक्षा बोर्डों (सीबीएसई, सीआईएससीई) को लिखा है और साथ ही संसद टीवी पर समय-समय पर एक प्रचार वीडियो भी प्रसारित किया जाता है।

(ग) और (घ) वर्तमान में, मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****